हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Raipur Main - 27 Jun 2025 - Page 2

याचिका खारिज

शराब कारोबारी को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में करोड़ों के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी विजय भाटिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। शराब कारोबारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपराधिक मामले में रिट याचिका दाखिल की थी। इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई। शराब कारोबारी विजय भाटिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा, जिसमें जांच एजेंसी एसीबी पर बिना समन के याचिकाकर्ता विजय भाटिया को गिरफ्तार करने की बात रखी गई। वहीं आरोपी के खिलाफ एफआईआर होने के बाद एक साल से ज्यादा समय बीतने कार्रवाई में देरी को लेकर एसीबी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा। अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में सबूत जताने और करीब 300 गवाहों से पूछताछ की गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टेड ईडी ने एसीबी को पहले अभियुक्त से पूछताछ करने के बाद उसे 31 मई 2025 को दोपहर में सौंपा और फिर 24 घंटे के बाद रायपुर में एक जून को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।